

यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 42 वर्ष 2016

आवेदक-दुखन मुण्डा

ग्राम - तिरला टोला-+++

थाना - महुंआटांड जिला-बोकारो

क्रेता- हरिया मुण्डा

ग्राम -तिरला टोला- +++

थाना - महुंआटांड जिला- बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे :
टिप्पणी तारीख व
साथ।

02

03

आदेश

यह वाद आवेदक दुखन मुण्डा पिता स्व० लपरा मुण्डा निवासी ग्राम तिरला थाना महुंआटांड जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
तिरला	43	11	549	36 डी०	10 डी०	कृषि योग्य

को वे मकान मरम्मत हेतु मो० 30,000/- (तीस हजार) रुपये में क्रेता- हरिया मुण्डा पिता स्व० जोधी मुण्डा ग्राम तिरला थाना -महुंआटांड जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 291 रा० दिनांक 13.05.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 790 दिनांक 22.09.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं।
02. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम-तिरला एवं थाना-महुंआटांड जिला-बोकारो का निवासी है।
03. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता के छरदादा गहना मुण्डा वल्द थनु मुण्डा के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी चमुवा मुण्डा के नाम से पंजी-II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि घरेलू बँटवारा द्वारा हासिल है।

प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज गहना मुण्डा वल्द थनु मुण्डा के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी चमुवा मुण्डा के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- गहना मुण्डा वल्द थनु मुण्डा के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा चमुवा मुण्डा के

c-c issued
16/10/16

नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता-स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- दुखन मुण्डा पिता स्व० लपरा मुण्डा ग्राम तिरला थाना महुआटोंड जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न ०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
तिरला 43	11	549	36 डी०	10 डी०	जानकी महतो	नाला	लुटन एवं रेवालाल मुण्डा	नील लेख्यकारी वार्कें है

10 डी० (दस डिसमिल जमीन मात्र)।

मो० 38,200/- (अठतीस हजार दौ सौ) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- हरिया मुण्डा पिता स्व० जोधी मुण्डा ग्राम तिरला थाना -महुआटोंड जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।